

2-8
2021

प्लावली पेश हुई। कासी पत्र की मुख्य के
 प्रसार उनके वारिध ऊवक उनकी ऊर
 से कोई उर्ववत्ता उपरिधत नही है।
 विधिक प्रावधानो अनुसार कासी पत्र की
 मुख्य होने पर उनके वारिधान की तरह
 से काशु प्राप्ता 0-22, R-3 44 नियत
 ऊसाध मे प्रस्तुत करना आवश्यक होना
 है। उक्त प्रकरण मे कासी पत्र द्वारा
 कासी मेगासिंट की मुख्य होने के प्रसार
 ऊसाधनांक तक मेगासिंट के काशु के
 रेकॉर्ड पर लिख जाने का प्रावना पत्र पेश
 नही हुआ है। विधि अनुसार मुख्य
 वारिध की ऊर से कार्यवाही नही चल
 सकती। जिससे कासी पत्र का वारिध विधिक प्रावधानो
 से वारिध होने से ऊवट में से वारिध
 किया जाता है। उक्त वारिध वाम वारिध के
 वारिधने 231, 234, 232, 233, 234 कुल वारिध
 5 कुल वारिध 3-38 एक्टर का ऊवगत वारिध 53, 54
 188 राश का वारिध किया जाता है। जिससे
 वारिध ऊसाध हेकर नंबर से कम है।

